

प्रशासन गांवो के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी देवरिया भू.अ. निरीक्षक मोखन्दा तहसील रायपुर

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम देवरिया पश्म. देवरिया में जमाबंदी सं 2075 में खाता सं. 491 में खेतवाला सन्तोष देवी पति अम्बालाल जाट का नाम दर्ज है जबकि ग्राम देवरिया के खाता सं 492 एवं 488 में उक्त खेतवाला का नाम सन्तोष पति अम्बालाल जाट दर्ज है। आधार कार्ड में भी पार्थिया का नाम सन्तोष देवी दर्ज पार्थिया ग्राम देवरिया के खाता सं 491 में भी अपना नाम सन्तोष देवी के बजाय देवी नखाना चहलूई है। अतः ग्राम देवरिया की जमाबंदी 2075 के 2078 के खा. सं 491 में खेतवाला का नाम सन्तोष देवी पति अम्बालाल के बजाय सन्तोष देवी पति अम्बालाल किया जा

अचिर है

मोखन्दा
तहसीलदार

पटवारी
14/03/2022

रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरिया व जॉच भू.अ.नि. वृत्त मोखन्दा के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

मोखन्दा
तहसीलदार रायपुर
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/2022/115 दिनांक:-31.03.2022

--आदेश --

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जॉच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर राजस्व ग्राम देवरिया जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 491 स्वयं/शामलाती खाते में खातेदार/सहखातेदार सन्तोष देवी पति अम्बालाल जाट

के नाम अंकित है जिसके बजाय सन्तोष देवी पति अम्बालाल जाट

शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

मोखन्दा
31.03.2022



सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)